**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-2436**

**जिसका उत्तर** 15 दिसंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**जल-विद्युत विकास में निवेश के लिए पहल**

**2436. श्री के. सी. त्यागीः**

 **श्रीमती रजनी पाटिलः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल-विद्युत विकास को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जल-विद्युत विकास निधि सहित कई पहलें करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में जल विद्युत उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक इसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** जी, हां । सरकार ने देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जल विद्युत विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं जिनमें राष्ट्रीय विद्युत नीति, जल विद्युत नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियां, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति इत्यादि जैसी नीतिगत पहलें शामिल हैं। इसमें जल विद्युत विकास निधि की स्थापना करना शामिल नहीं है। इन नीतिगत पहलों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मानीटरी तथा समीक्षा करती है।

**(ग) :** 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 40798.76 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 188 जल विद्युत केन्द्र, जिनमें 4785.6 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 9 पंप्ड स्टोरेज स्कीमें (पीएसएस) भी शामिल हैं, प्रचालनाधीन हैं। 11वीं योजना के अंत में, देश में जल विद्युत क्षमता 38990 मेगावाट की थी जो इस समय 40798.75 मेगावाट हो चुकी है। 12वीं योजना में, 10,897 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि का लाभ होने की योजना है। 12वीं योजना के अंत तक, देश में कुल जल विद्युत क्षमता 49887 मेगावाट होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*